FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर (दौसा)

इसराइल वगैरह बनाम फजरी वगैरह

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.न. 125/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2025	प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश हुआ। कार्यालय रिपोर्ट सरिस्ता हो चूकी है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने निवेदन किया कि ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील मण्डावर जिला दौसा के खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 2119, 2120, 2121, 2123, 2124, 2126, 2127, 2128, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2404, 2405, 2410 पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवेदन किया है। प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। उक्त वादगत प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष को सुना जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः इस स्तर पर प्रार्थीगण के पक्ष में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये स्पीड पोस्ट डाक वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
26.12.25	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रकरणवार दिनांक 06.02.26 को पेश हो।	
06.02.26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को बार-2 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली लम्बे समय से तलबी में लंबित है। प्रार्थीगण को बार-2 निर्देशों के बावजूद भी अप्रार्थीगण की तामीलें पेश नहीं की और निर्देशों की अवहेलना की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण पत्रावली	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला--दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की तामील हुए
	इसराइल ......बनाम...... हजरी मु.नं.– 125/25 किस्म – 7ए	
	में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली प्रार्थीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	